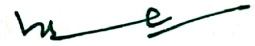


कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
तखतपुर दिनांक 02.09.2025

—: सूचना :—

महाविद्यालय के जो स्वाध्यायी छात्र/छात्रा बी.एस.सी./बी.ए./बी. काम. तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश लेना चाहते हैं के वेबसाइट से फार्म डाउनलोड कर दिनांक 03/09/2025 को अनिवार्य रूप से महाविद्यालय में आवेदन जमा करें। प्राप्त आवेदन पर मेरिट लिस्ट बना कर रिक्त स्थान में दिनांक 04/09/2025 को प्रवेश दिया जायेगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करें :—

1. 10 वी की अंकसूची की सत्यापित प्रति।
2. 12 वी की अंकसूची की सत्यापित प्रति।
3. प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर की अंकसूची सत्यापित प्रति।
4. जाति एवं निवास प्रमाण पत्र।
5. दो पास पोर्ट साईज फोटो


प्राचार्य
शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय तखतपुर
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
तखतपुर, जि. बिलासपुर (छ.ग.)

शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)



स्नातक पूर्व/अंतिम एवं स्नातकोत्तर अंतिम कक्षा में प्रवेश हेतु

नवीनीकरण प्रवेश आवेदन पत्र

- कक्षा का नाम जिसमें प्रवेश चाहिए
- विषय जो लिया है
- छात्र/छात्रा का नाम
- पिता का नाम
- माता का नाम
- जन्मतिथि
- लिंग (पुरुष/महिला/तृतीय)
- पिता का व्यवसाय
- जाति-अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य.पि.वर्ग./बी.पी.एल./सामान्य
- अस्थाई पता
- स्थायी पता
- ई-मेल आईडी
- विगत परीक्षा का विवरण :-

मो.नं.

व्हाट्सअप नंबर

उत्तीर्ण परीक्षा	रोल नंबर	वर्ष	प्राप्तांक	परीक्षाफल

13. महाविद्यालय का विगत वर्ष का प्रवेश क्रमांक वि.वि.नामांकन क्रमांक

13. संलग्न प्रमाण-पत्र, दसवीं से लेकर पिछली परीक्षा तक की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।

14. कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता मुझे मान्य है ।

15. सात आंतरिक इकाई परीक्षाओं में कम से कम पांच परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनिवार्यता मुझे मान्य है ।

टीप : उपरोक्त 14 एवं 15 नियमों का पालन करने पर विज्ञान संकाय के परीक्षार्थी को अमहाविद्यालयीन तथा कला एवं वाणिज्य के परीक्षार्थियों को ग्राह्य माना जावेगा ।

अभिभावक के हस्ताक्षर

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

प्रवेश समिति की अनुशंसा

छात्र इस महाविद्यालय का नियमित छात्र है । इसे कक्षा में उक्त विषयों के साथ प्रवेश की अनुशंसा की जाती है ।

संयोजक के हस्ताक्षर

नाम



छात्र/छात्रा का शपथ-पत्र

(छात्र का नाम प्रवेश/पंजीयन/नामांकन सहित)

1. मैं
पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती
शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में हो चुका है या हो गया है को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू.जी.सी. नियमावली 2009 प्राप्त की, उसकी सावधानीपूर्वक पढ़ा और पूर्वतः समझा। मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका-3 का अध्ययन किया और रैगिंग किस प्रकार की होती है के प्रति सजग हुआ।
2. मैंने कंडिका 7 और 9.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देता हूँ/देती हूँ अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता/करती हूँ षडयंत्र करता/करती हूँ तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है।
3. मैं सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता/लेती हूँ कि-
अ. मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा/करूंगी जो कि कंडिका-3 के नियम के अंतर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
ब. मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूंगा/बनूंगी जो कंडिका-3 के अंतर्गत अपराध को बढ़ावा देता हो या (लोकप्रिय) फेलाता हो।
5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता/देती हूँ कि यदि मैं रैगिंग में लिप्त पाया जाता/जाती हूँ तो मेरे विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और ना ही प्रवेश के लिए वर्जित किया गया न ही रैगिंग जैसे अपराध को बढ़ावा देने सहायता करने या षडयंत्र में अपराधी पाया गया/गई हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
घोषणा का दिनांक माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

कक्षा

मो.नं.

सत्यापन

मैं सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरी जानकारी से सत्य है और कोई भी तथ्य गलत नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान) (दिन) (माह) (वर्ष)

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

उपस्थिति में शपथ-पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) माह वर्ष को हस्ताक्षर आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त



माता-पिता अभिभावक का शपथ-पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती (माता/पिता/अभिभावक का नाम)
श्री/कु (छात्र का पूरा नाम,
प्रवेश, पंजीयन/नामांकर सहित) शासकीय जे.एम.पी महाविद्यालय तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में प्रवेश हो चुका है, पुष्टि
करता हूँ कि मुझे रैगिंग अपराध को समाप्त करने हेतु यू.जी.सी की नियमावली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः
समझा।
2. मैंने ने विशेषतः नियमों की कंडिका 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग को
बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती
है।
4. मैं सत्यनिष्ठ ये संकल्प लेता हूँ कि -
अ. मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपराधन में सम्मिलित नहीं होगा जो कि कंडिका-3 के अंतर्गत आता है।
ब. मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा जो कंडिका-3 के अंतर्गत रैगिंग अपराध की श्रेणी में आता है।
5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूँ यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है। तो उसके विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका-9.1 के
अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है।
6. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के अपराध के कारण देश की किसी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही प्रवेश से
वंचित किया गया।

घोषणा का दिनांक माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

कक्षा

फोन/मो.नं.

सत्यापन

मैं सत्यापन करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरी जानकारी से सत्य है और कोई भी तथ्य गलत नहीं है तथा
कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान) (दिन) (माह) (वर्ष)

मेरी उपस्थिति में शपथ-पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) माह वर्ष को हस्ताक्षर
आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिये आचरण-संहिता

सामान्य नियम :

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। उनका पालन न करने पर यह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिये।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, यह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवारों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम :

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्णतः पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या से ही पुस्तकें, प्राप्त होगी तथा समय से न लौटने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षाओं, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखें, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम :

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरान्त परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :

1. यदि छात्र अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पाँच साल तक कारावास की सजा या पाँच हजार रूपयें जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय-समय में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम निरस्त किया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक् कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक/अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

नाम.....

मोबा. नं.

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

नाम.....

मोबा. नं.

ई-मेल आईडी.....